आम बजट में 18 महीने से अटकी पड़ी इस व्यवस्था को प्रोत्साहन मिला, डीए फिर कवायद शुरू करेगा

लैंड पूलिंग नीति लागू होने की उम्मीद फिर बंधी

नई दिल्ली | अचलेन्द्र कटियार

18 माह से अटकी पड़ी लैंड पूलिंग नीति के दिल्ली में जल्द लागू होने की उम्मीद बंधी है। केंद्र सरकार की तरफ से डीडीए और निगम को लैंड पूलिंग से जुड़े विवाद निपटाने का निर्देश देने के बाद आम बजट में भी इस नीति को प्रोत्साहित किया गया है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आंध्र प्रदेश के अमरवती में भूमि पूलिंग व्यवस्था के तहत जमीन देने वाले भू-मालिकों को पूंजी लाभकर (कैपिटल गेन टैक्स) से छूट देने का प्रस्ताव किया है। इस घोषणा को लैंड पूलिंग व्यवस्था को बढ़ावा देने से जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि किसान आंदोलनों के चलते देश भर में भूमि अधिग्रहण को लेकर मुश्किलें सामने आ रही हैं। लैंड पूलिंग पॉलिसी केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की तरफ से अधिसूचित हो चुकी है। अगर दिल्ली के किसानों को भी यह छूट मिली तो उन्हें काफी वित्तीय लाभ होगा।

डीडीए के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार इस महीने फिर से नीति को लागू करने के लिए सरकार के पास नोट बनाकर भेजा जाएगा। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेन्दर गुप्ता इस नीति को लागू कराने के केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय को हाल में पत्र भी लिख चुके हैं।

20 लाख से ज्यादा फ्लैट बनने का रास्ता साफ होगा

लैंड पूलिंग से दिल्ली में 20 लाख से ज्यादा फ्लैट बनने का रास्ता साफ होगा। केंद्र की कोशिश है कि यह नीति जल्द लागू हो ताकि प्रधानमंत्री के सबको आवास देने के सपने को पूरा किया जा सके। लैंड पूलिंग नीति भूमि अधिग्रहण की नीति से बिल्कुल अलग है। इसमें डीडीए सीधे किसानों से जमीन का अधिग्रहण नहीं करेगा। किसान अपनी जमीन को किसी भी निजी डेवलपर को बेच सकेंगे।